

गाय गंगा और मंदिर या समान नागरिक संहिता

भारतीय जीवन पद्धति अकेली ऐसी प्रणाली है जिसमें कुछ बुद्धिजीवी सामाजिक विषयों पर अनुसंधान करते हैं और निष्कर्ष भावना प्रधान लोगों तक इस तरह पहुंचता है कि वह निष्कर्ष सम्पूर्ण समाज के लिये सामाजिक कर्तव्य बन जाता है। प्राचीन समय से यही परिपाटी चलती आ रही है। भारतीय जीवन पद्धति विज्ञान और धर्म के संतुलन के रूप में विख्यात है। गाय गंगा मंदिर पीपल के पेड़ या तुलसी को पौधों को समाज में यथोचित सम्मान मिलना इसी प्रणाली का परिणाम है। गाय एक ऐसा उपयोगी पशु है जिसकी उपयोगिता पर अब भी नये नये शोध हो रहे हैं। गाय को माता के समान स्थान दिया गया। गो हत्या को निषिद्ध कार्य में सम्मिलित किया गया। गंगा नदी की वैज्ञानिक उपयोगिता देखकर ही उसे अधिकतम पवित्र और साफ रखने की धार्मिक व्यवस्था हुई। गंगा नदी को पार करते समय उसमें तांबे का पैसा फेंकना भी एक वैसा ही प्रयत्न माना जाना चाहिये। मंदिरों को आस्था का केन्द्र माना गया। गाय गंगा मंदिर जैसे वैज्ञानिक प्रतीकों को आम लोगों के जन मानस में इस तरह शामिल किया गया, जैसे वह उनके जीवन मरण का प्रश्न हो। विचारवान लोग तर्क के आधार पर रिसर्च करते थे और उस रिसर्च के परिणाम भावना प्रधान समाज तक श्रद्धा के माध्यम से पहुंचाते थे। विचार और श्रद्धा के बीच एक अदभूत तालमेल था।

चाहे गाय गंगा मंदिर हो या पीपल का पेड़ सभी एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था के लिये उपयोगी थे। मनुष्य एक मात्र ऐसा जीव था जिसे मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। गाय की सम्पूर्ण उपयोगिता और श्रद्धा होते हुए भी गाय को पशु माना गया क्योंकि उसे मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसी तरह गंगा को पवित्र नदी तथा मंदिर को एक पवित्र उपासना केन्द्र के रूप में स्वीकार किया गया। मैं स्पष्ट कर दूँ कि सिर्फ मनुष्य को ही मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं क्योंकि मनुष्य सम्पूर्ण विश्व समाज के साथ जुड़ा हुआ है और गाय गंगा या मंदिर का अब तक वैसा स्थान प्राप्त नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि गाय हमारे लिये आस्था का केन्द्र हो सकती है और किसी दूसरे के लिये नहीं भी हो सकती है। भारतीय जीवन पद्धति में अपनी आस्था को किसी दूसरे पर बल पूर्वक नहीं थोपा जा सकता। जिस तरह गाय के नाम पर व्यक्तियों की हत्याएँ हो रही हैं अथवा गंगा के नाम पर जल के अन्य उपयोग में रूकावट के आंदोलन हो रहे हैं वे भारतीय संस्कृति के हिस्से नहीं हैं क्योंकि ये सुविचारित नहीं हैं, तर्क संगत नहीं हैं, विज्ञान विरुद्ध हैं तथा पूरी तरह भावनाओं पर आधारित हैं। बल्कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गाय गंगा मंदिर का मुद्दा सुविचारित तरीके से राजनैतिक हथकंडे के रूप में उपयोग करने का प्रयत्न हो रहा है।

स्पष्ट तथ्य है कि भारत में भारतीय संस्कृति में निरंतर गिरावट आ रही है। हिन्दुओं की संख्या लगातार घट रही है और गाय गंगा मंदिर विरोधियों की बढ़ रही है। यदि हिन्दुओं की संख्या घटती गई तो गाय गंगा मंदिर भी नहीं बचेगा। किन्तु यदि हिन्दू और हिन्दुत्व बच गया तो गाय गंगा मंदिर खत्म होने के बाद भी फिर से विस्तार पा सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 10 गाय गंगा और मंदिर की सुरक्षा की तुलना में हिन्दुत्व की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है किन्तु हमारे रणनीति कार गाय गंगा मंदिर को हिन्दुत्व की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानने का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि भारत की वर्तमान राजनैतिक स्थिति में गाय गंगा मंदिर की तुलना में समान नागरिक संहिता की अधिक उपयोगिता है, क्योंकि भारतीय जीवन पद्धति इतनी अधिक सुविचारित और वैज्ञानिक आधार पर स्थापित है कि कोई अलग उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। समान नागरिक संहिता की तुलना में हिन्दू राष्ट्र शब्द पूरी तरह घातक और अनुपयुक्त है क्योंकि विचार धाराएँ वैज्ञानिक तथ्यों पर विस्तार पाती हैं। भावनात्मक प्रचार पर नहीं। पिछले तीन वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे समान नागरिक संहिता के पक्षधर अनेक मित्र भी हिन्दू राष्ट्र अथवा गाय गंगा मंदिर को अधिक प्राथमिक मानने लगे हैं। कुछ लोगों ने समान नागरिक संहिता शब्द का अर्थ भी बदलने का प्रयास किया। उन्होंने समान नागरिक संहिता को समान आचार संहिता बना दिया जबकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो जाये तो भारत की अधिकांश समस्याएँ अपने आप सुलझ जायेगी तथा भारत दुनिया में मानवाधिकार के नाम पर अग्रणी देशों में गिना जाने लगेगा। जबकि गाय गंगा और मंदिर आंदोलन कुछ लोगों के अहम की तुष्टि भले ही कर दे लेकिन दुनियां में भारतीय जीवन पद्धति अथवा हिन्दू धर्म का सिर उंचा नहीं हो सकेगा।

जो मित्र गाय गंगा मंदिर के नाम पर कट्टर पंथी इस्लाम से टकराने के पक्षधर हैं वे भूल रहे हैं कि भावनात्मक मुद्दों पर टकराव टिकाऊ नहीं हो सकता। ऐसे मुद्दों पर विश्व समर्थन भी नहीं मिल सकेगा। भारत की राजनैतिक सत्ता के लिये भले ही ऐसे मुद्दे उपयोगी हो किन्तु विश्व व्यवस्था में इनका उपयोग नहीं हो सकता। दूसरी ओर समान नागरिक संहिता एक ऐसा विषय है जिसपर भारत के मुसलमान सहमत भी नहीं होंगे और विरोध भी नहीं कर सकेगे। विश्व जनमत भी समर्थन कर सकता है। यदि जल छिटने से साप मर जाये तो लाठी डंडे गोली बंदूक की आवश्यकता क्या है। गाय गंगा मंदिर जैसे मामलों में सरकार को किसी प्रकार का कोई कानूनी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। जिस तरह सत्तर वर्ष बीत गये उस तरह दो चार वर्ष और बीत सकते हैं।

मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि हमें भावनाओं में बहकर तथा जोश में आकर कुछ करने की मूर्खता छोड़ देनी चाहिये और वैचारिक तथा होश में आकर एक मात्र समान नागरिक संहिता के पक्ष में वातावरण बनाना शुरू करना चाहिये।

बाल श्रम

दुनियां भर में राज्य का एक ही चरित्र होता है कि वह समाज को गुलाम बनाकर रखने के लिये वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष का सहारा लेता है। भारत की राज्य व्यवस्था भी इसी आधार को आदर्श मानकर चलती है। बांटो और राज करो की नीति बहुत पुरानी है जो अभी तक चल रही है। इसी वर्ग विद्वेष के आठ उपकरणों में उम्र के नाम पर फैलाया गया वर्ग विद्वेष भी शामिल है। बालक, युवक और वृद्ध के नाम पर तीन अलग अलग समूह बनाकर तीनों के बीच में भेद भाव पैदा करना राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस महत्वपूर्ण कार्य में राजनैतिक दलों का आपसी भेद भाव भी नहीं है न्यायपालिका भी लगातार इस कार्य को महत्वपूर्ण समझती है और कार्यपालिका तो सक्रिय रहती ही है। बालक युवा और वृद्ध कभी भिन्न नहीं होते क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित उम्र तक बालक मध्य काल में युवक और अंतिम काल में वृद्ध होता है। परिवार में रहते हुए भी बालक, युवक, वृद्ध तीनों प्रकार के लोग एक साथ संयुक्त रहते हैं। अपवाद स्वरूप ही कुछ बालक, युवक या वृद्ध के रूप में माने जा सकते हैं जो नितान्त अकेले हों या संयुक्त परिवार से अलग हों।

प्राकृतिक या मौलिक अधिकार सबके समान होते हैं जिसमें बालक, युवक और वृद्ध का कोई अंतर नहीं होता। पारिवारिक सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों में कुछ भिन्नता हो सकती है। बालक जब तक बालिग नहीं हो जाता तब तक परिवार उसका संरक्षक होता है, मालिक नहीं। परिवार में बालक समाज या राज्य की अमानत नहीं होता बल्कि परिवार का एक सहभागी सदस्य होता है। इसका अर्थ हुआ कि बालक की भी परिवार के सभी प्रकार के लाभ हानि में बराबर की हिस्सेदारी होती है, भले ही सक्रियता के नाम पर उसकी अन्य सदस्यों से कम ही भूमिका क्यों न हो। समाज बालक का अभिरक्षक माना जाता है और राज्य उसका अनुरक्षक। इसका अर्थ हुआ कि राज्य सिर्फ बालक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की चिंता करता है। साथ ही राज्य का यह भी दायित्व है कि परिवार बालक के संरक्षक होने की अपनी सीमाएं तोड़ तो नहीं रहा। इसका अर्थ हुआ कि परिवार यदि अपनी सीमाएं तोड़कर मालिक के समान व्यवहार करता है तब राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। समाज तभी हस्तक्षेप करता है जब परिवार बालक के संरक्षक के कर्तव्य नहीं करता। इस तरह तीनों की भूमिका अलग अलग होती है। राज्य या समाज विशेष परिस्थितियों में ही परिवार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है अन्यथा सामान्य स्थिति में नहीं कर सकता।

साम्यवादी देश पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था के विरोधी होते हैं तो पश्चिम के देश पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण नहीं मानते। भारतीय और इस्लामिक व्यवस्था में परिवार और समाज व्यवस्था को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। भारत जब पश्चिम का गुलाम हुआ और स्वतंत्रता के बाद जब साम्यवादी विचार धारा की तरफ बढ़ता चला गया तब स्वाभाविक था कि भारत की राज्य व्यवस्था में भी परिवार और समाज व्यवस्था को तोड़ने या अमान्य करने की बुरी आदत शुरू हुई। वैसे भी भारत नकल करने के लिये प्रसिद्ध है। इतिहास से प्रमाणित है कि भारत का संविधान बनाने में भी असल का कोई शब्द भी शामिल नहीं है। संविधान में जो कुछ भी लिखा गया है वह सब नकल ही नकल है। इसी नकल के परिणाम स्वरूप भारत में भी बालिक युवा और वृद्ध के अलग अलग कानून बनने लगे, जबकि परिवार में तीनों का कोई अलग अस्तित्व होता ही नहीं है। भारत में भी पेशेवर लोग, मानवाधिकार, बाल श्रम, पर्यावरण, जल संरक्षण, बंधुआ मजदूरी आदि के नाम पर विदेशी एजेंट के रूप में दुकाने खोलते रहे हैं और मानवाधिकार पर्यावरण बालश्रम आदि के नाम पर अच्छा काम कर रही सामाजिक संस्थाओं को किनारे करते जा रहे हैं। इन पेशेवर लोगों को पश्चिम के देशों से बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय सम्मानजनक पहचान भी दे दी जाती है और इन्हे गुप्त रूप से आर्थिक मदद भी इसलिये दी जाती है कि ये समूह भारत में बाल श्रम पर्यावरण और मानवाधिकार के नाम पर वर्ग विद्वेष फैला सके, परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था में टूटन पैदा कर सके। ऐसे पेशेवर लोगों से भारत सरकार भी प्रभावित रहती है और उन्हें सम्मान देने के लिये मजबूर रहती है भले ही वे भारत के लिये सामाजिक कलंक ही क्यों न हों।

भारत के आम नागरिकों को अब तक नहीं पता कि भारत में बने कानून के अनुसार परिवार अपने बच्चे से अपने घर या दुकान का काम भी नहीं करवा सकता। यहां तक कि उसकी सहमति से भी नहीं। पहली बार नरेन्द्र मोदी सरकार ने जब इस कानून को शिथिल कराने की कोशिश की तो कुछ निर्लज मानवाधिकार प्रेमियों ने तो ऐसे प्रयत्न को रोकने का भी प्रयास किया। मोदी सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे ऐसे सुधार को स्वीकृति दी। फिर भी बाल श्रम के नाम पर अनेक ऐसे कानून भारत में बने हुए हैं जो विकास में भी बाधक हैं और पारिवारिक व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न करने वाले हैं। ऐसी परिवार तोड़क अंतरराष्ट्रीय लावी भारत में भी इतनी मजबूत है कि नरेन्द्र मोदी सरीखा सक्षम प्रधानमंत्री भी अभी उन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। विपक्ष को तो मोदी विरोध के अतिरिक्त उचित अनुचित से कोई मतलब ही नहीं है। 16ऐसा प्रमाणित किया जा रहा है जैसे बालक सिर्फ राष्ट्र की सम्पत्ति हो और परिवार उसकी अमानत की सुरक्षा तक सीमित हो। बालिग होने के बाद परिवार बालक को राष्ट्र को समर्पित करने के लिये मजबूर होगा ऐसी अवधारणा मूलतः गलत है। किन्तु भारत की संवैधानिक मान्यता ऐसी ही बनी हुई है। आदर्श स्थिति ऐसी नहीं मानी जा सकती कि बालक पर राष्ट्र का ही सर्वोच्च अधिकार है। या तो बालक पर परिवार समाज और राज्य का संयुक्त अधिकार माना जा सकता है अन्यथा उसमें परिवार का आधा और

समाज राज्य का आधा । यह नहीं हो सकता कि राज्य बालक के मामले में सर्वे सर्वा बन जाये। इस लिये व्यक्तिगत रूप से मैं इस मत का हूँ कि पूरे भारत में बालश्रम संबंधी बने किसी भी प्रकार के कानून का पूरी तरह विरोध होना चाहिये। साथ ही बालश्रम के नाम पर पेशेवर दुकानदारों का भी पूरा विरोध होना चाहिये चाहे वे कितने भी सम्मानित क्यों न हों।

मंथन क्रमांक 84

चोरी, डकैती और लूट

प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता उसका मौलिक अधिकार होता है। ऐसी स्वतंत्रता में कोई भी अन्य किसी भी परिस्थिति में तब तक कोई बाधा नहीं पहुँचा सकता जब तक वह स्वतंत्रता किसी अन्य की स्वतंत्रता में बाधक न हो। कोई भी व्यवस्था किसी भी स्वतंत्रता की उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई सीमा नहीं बना सकती। इस तरह अपराध सिर्फ एक ही होता है और वह होता है किसी अन्य की स्वतंत्रता में बाधा पहुँचाना। अपराध दो प्रकार के होते हैं। 1 बल प्रयोग 2 धोखाधड़ी तीसरा कोई कार्य अपराध नहीं होता। मौलिक अधिकार भी चार प्रकार के होते हैं। 1 जीने की स्वतंत्रता 2 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 3 सम्पत्ति की स्वतंत्रता 4 स्व निर्णय की स्वतंत्रता। इन चारों स्वतंत्रताओं की कोई सीमा उसकी सहमति के बिना तब तक नहीं बन सकती जब तक किसी अन्य की स्वतंत्रता में बाधक न हो। अपराध भी पांच प्रकार के होते हैं। 1 चोरी डकैती और लूट। 2 बलात्कार 3 मिलावट कमतौल 4 जालसाजी धोखाधड़ी 5 हिंसा और बल प्रयोग। इन सबमें भी हिंसा बल प्रयोग और धोखाधड़ी के बिना कोई कार्य अपराध नहीं होता।

चोरी डकैती और लूट एक ही प्रकार के अपराध होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की सम्पत्ति का कोई भाग छिपकर अथवा बल प्रयोग द्वारा अपने अधिकार में कर लिया जाता है किन्तु चोरी आम तौर पर छिपकर की जाती है और डकैती या लूट बल प्रयोग के द्वारा। डकैती और लूट में कोई विशेष फर्क नहीं होता। यदि लुटेरे पांच से कम हैं तो उसे लूट कहते हैं और पांच या उससे अधिक है तो डकैती।

स्वतंत्रता के बाद आबादी करीब चार गुनी बढ़ी है। सरकारों की आर्थिक अथवा तकनीकी सुविधाएँ आबादी की तुलना में कई गुना अधिक बढ़ी हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर बहुत सुधरा है। भीख मागने वाले का भी स्तर उंचा हुआ है। इस तरह अपराधों का ग्राफ बहुत कम होना चाहिये था किन्तु आबादी की तुलना में कई गुना अधिक बढ़ गया है। चोरी डकैती और लूट भी स्वतंत्रता के समय की तुलना में पचीस गुना तक अधिक कह सकते हैं। ये अपराध निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रश्न उठता है कि जब भारत भौतिक उन्नति के मामले में दुनियाँ से कम्पीटिशन कर रहा है और विकासशील की जगह विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो रहा है तब ये चोरी डकैती के अपराध स्वयं क्यों नहीं रुक रहे अथवा सरकारें सफल क्यों नहीं हो रही।

इस गंभीर प्रश्न पर गंभीरता से विचार मंथन हुआ। आम तौर पर लोग भय के कारण अपराधों से दूर रहते हैं। भय तीन प्रकार का हो सकता है। 1 ईश्वर का 2 समाज का 3 सरकार का। ईश्वर का भय निरंतर घटता जा रहा है। समाज को इस प्रकार छिन्न भिन्न किया गया कि समाज का अस्तित्व रहा ही नहीं। कुल मिलाकर सरकार का भय ही एक मात्र आधार बचता है जिससे चोरी डकैती रुक सकती है। हम सरकार की अगर समीक्षा करें तो सरकार का भय भी इन अपराधों को रोकने में सफल सिद्ध नहीं हो रहा है।

भारत नकल करने के लिये प्रसिद्ध हो गया है। दुनियाँ के विकसित राष्ट्र अपराध नियंत्रण करने के बाद जन कल्याण के कार्य करते हैं तो भारत अपराध नियंत्रण को छोड़कर भी जन कल्याण के कार्यों में सक्रिय हो जाता है। स्पष्ट है कि बलात्कार और डकैती दोनों ही अपराध होते हैं। दोनों में ही बल प्रयोग होता है। किन्तु डकैती की तुलना में सरकारें बलात्कार को अधिक गंभीर अपराध मानती हैं। जबकि डकैती अधिक गंभीर अपराध होता है। डकैती में किसी व्यक्ति के स्वामित्व की कोई वस्तु छीनकर उसपर अपना स्वामित्व बना लिया जाता है। बलात्कार में ऐसा नहीं होता। इसी तरह किसी धर्म ग्रन्थ का अपमान एक भावनात्मक मुद्दा है किन्तु उसे भी गंभीर अपराध बना दिया गया है। अवैध बंदूक और पिस्तौल किसी भी परिस्थिति में रखना गंभीर अपराध होना चाहिये किन्तु बंदूक और पिस्तौल बिना लाइसेंस के भी रखना छोटा अपराध है और गांजा अफीम रखना गंभीर अपराध। किसी आदिवासी हरिजन को गाली दे देना बहुत बड़ा गंभीर अपराध बना दिया गया है। कोई व्यक्ति किसी की सहमति से वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाकर उससे अलग होना चाहे तो वह बलात्कार का दोषी मान लिया जाता है। मैं आज तक नहीं समझा कि यह बलात्कार की कौन सी परिभाषा है। कार्टींग कौच को भी बलात्कार सरीखा अपराध मानने की चर्चा चल रही है जबकि वह शुद्ध सौदेबाजी है। सामाजिक बुराईयाँ रोकने का काम समाज का है। सरकार का नहीं। सरकार का काम सिर्फ अपराध नियंत्रण है लेकिन सरकारें सब प्रकार की सामाजिक बुराईयाँ भी रोकने का प्रयत्न करती हैं। एक सिद्धान्त है कि किसी दायित्व की मात्रा जितनी ही बढ़ती जाती है उसकी गुणवत्ता की क्षमता उतनी ही घटती जाती है। सरकारों की शक्ति सीमित है। यदि सरकारें ओभर लोडेड होती हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी गुणवत्ता घटेगी। सरकारें वास्तविक कार्यों को छोड़कर

वर्ग संतुष्टी के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करना शुरू कर देती है जबकि उन्हें अपराध नियंत्रण पहले करना चाहिये था। जब तक जान बुझकर बुरी नीयत से किसी की भावनाओं को चोट न पहुंचाई जाये तब तक भावनाओं को चोट लगना किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं माना जा सकता है। नीयत का महत्व है भावनाओं का नहीं। सरकारें भावनाओं का महत्व समझती हैं, नीयत से मतलब नहीं रखती हैं। इसका दुष्परिणाम होता है कि चोरी डकैती सरीखे अपराध बढ़ते चले जाते हैं। दुख की बात है कि हत्या आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधियों के मुकदमे बीस बीस वर्ष चलते रहते हैं तो बलात्कार के मुकदमे में त्वरित निपटारों की मांग और प्रयत्न हो रहे हैं। यहां तक मांग हो रही है कि बलात्कार को हत्या की तुलना में भी अधिक गंभीर अपराध बना दिया जाये।

एक तरफ तो न्यायपालिका ओभर लोडेड है। चोरी डकैती हत्या के मुकदमे कई दशक तक चलते रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में खुलेआम अपराधियों को गोली मारने का भी आदेश क्रियान्वित किया जा रहा है। ये दोनों क्रियाएँ पूरी तरह एक दूसरे के विपरीत हैं। अच्छा तो यह होता कि न्यायिक प्रकृया के अंतर्गत गंभीर अपराधों में छः महिने के अंदर निर्णय करना अनिवार्य कर दिया जाता तो गोली मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। किन्तु सरकारें न्यायिक प्रकृया को लंबा करते जाती हैं और यदाकदा जनहित में अलोकतांत्रिक तरीके अपना लिये जाते हैं। मेरे विचार से चोरी डकैती लूट का अस्तित्व हमारे लिये एक कलंक है। छुआछूत से भी ज्यादा, गांजा और अफीम से भी ज्यादा। इसे हर हालत में रोका ही जाना चाहिये। सरकारों को और समाज को भावना और बुद्धि के बीच के अंतर को समझना चाहिये। इस आधार पर अपनी प्राथमिकता तय करनी चाहिये। बिना विचारे दुनिया की नकल करना हमारे लिये आदर्श स्थिति नहीं है। इससे बचा जाना चाहिये। गंभीर अपराधों की प्राथमिकताएं तय करते समय कुछ मापदंडों पर विचार होना चाहिये। 1 अपराध अपराधी की आवश्यकता थी अथवा इच्छा। 2 अपराध भावना वश हुआ या योजनापूर्वक 3 अपराध के द्वारा अपराधी को कोई भौतिक लाभ हुआ या नहीं। 4 पीड़ित पक्ष को भावनात्मक क्षति हुई अथवा भौतिक। इस तरह की अनेक प्राथमिकताओं पर विचार करने के बाद यह धारणा बनती है कि चोरी डकैती और लूट अन्य भावनात्मक अपराधों की तुलना में अधिक गंभीर अपराध है। वर्तमान समय में मेरा कथन कुछ विपरीत दिख सकता है किन्तु इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये।

सामयिकी

जब कोई भौतिक पहचान ही किसी की योग्यता और श्रद्धा का मापदंड बन जाती है तब धूर्त और अपराधी उस भौतिक पहचान का सहारा लेकर अपने को आगे बढ़ाते हैं। यही स्थिति राजनीति में खादी की हुई तो धर्म में सन्यासी शब्द और उसकी वेश भूषा की। आशाराम रामरहीम सरीखे सैकड़ों अपराधी सन्यासी वेश भूषा में अपना गुजर बसर और शाही सम्मान सुख सुविधा का भोग करते रहे हैं। कुछ समय पहले तक मुझे भी ऐसा लगता था कि वास्तव में ईश्वर के यहां न्याय नहीं है तभी तो ईश्वर के नाम पर भोले भाले भक्तों को धोखा देने में ये लोग सफल हैं। ऐसे नकली साधु संत धर्म की आड़ में अनेक गंभीर अपराध तक करते रहे हैं। यहां तक कि हिंसा और षण्यंत्र में भी पीछे नहीं रहे। वर्तमान घटना क्रम से विश्वास हो चला है कि ईश्वर है। ऐसे साधु संत बड़े बड़े अपराध करके साफ बचते रहे हैं किन्तु छोटे अपराध में भी वे आजीवन कारावास का दंड भोगने को मजबूर हो रहे हैं। स्पष्ट है कि अपराधियों को उचित दंड तो मिल रहा है भले ही हत्या हिंसा षण्यंत्र धोखा के बदले महिला उत्पीड़न के नाम पर ही क्यों न मिले। मैं इस प्रकार गलत तरीके से हो रहे सही कार्य का समर्थन करता हूँ। अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के साधु संतों को सबक सीखना चाहिये कि वे बड़े बड़े षण्यंत्र करके भले ही बच रहे हों किन्तु पाप का घड़ा कभी भी भरकर फूट जायेगा और उन्हें आभाष भी नहीं होगा यह किसी को पता नहीं है। ईश्वर का उपयोग करना ही पर्याप्त नहीं है उसकी शक्ति से डरना भी चाहिये।

सामयिकी

मैं लम्बे समय से लिखता रहा हूँ कि सरकार का अर्थ न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका का समन्वित स्वरूप होता है। मेरे विचार में कार्यपालिका में महत्वपूर्ण भूमिका सचिव स्तर से लेकर नीचे तक के कर्मचारियों की होती है। पिछले मंथन कार्यक्रम में चर्चा के बाद कुछ अलग अर्थ समझ में आये जिसके अनुसार कार्यपालिका और सरकार का अर्थ कुछ भिन्न होता है। इसलिये सामयिकी के अंतर्गत यह चर्चा प्रेषित है।

पूरी दुनियां में तानाशाही सबसे अधिक निकृष्ट और सफल व्यवस्था मानी जाती है। वर्तमान लोकतंत्र तानाशाही की तुलना में अधिक अच्छी और असफल व्यवस्था मानी जाती है। एक संशोधित लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सोचा जाना चाहिये।

लोकतंत्र के कई प्रकार हो सकते हैं। एक लोकतंत्र आदर्श माना जाता है जिसे लोक स्वराज्य कहते हैं। दूसरे लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। तीसरा लोकतंत्र वह है जिसे वर्तमान लोकतंत्र कहते हैं। लोकस्वराज्य तो अभी युटोपिया की तरह माना जाता है जिसका दुनियां में कोई स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ है। लोकस्वराज्य में लोक मालिक होता है और तंत्र मात्र प्रबंधक। लोक स्वराज्य में नीचे की ईकाईयां उपर वाले को अधिकार देती हैं और जब चाहे वापस ले सकती हैं।

सहभागी लोकतंत्र एक बीच की व्यवस्था है। इसमें कुछ अधिकार तंत्र के पास होते हैं और अधिकांश अधिकार लोक के पास होते हैं। लोक और तंत्र के बीच एक समझौता होता है। उक्त समझौते को संविधान कहते हैं। वर्तमान लोकतंत्र जो सारी दुनियां में प्रचलित है वह संसदीय लोकतंत्र माना जाता है। इसमें भी कई भाग हैं, जिनमें पश्चिम का लोकतंत्र अच्छा माना जाता है और दक्षिण एशिया का विकृत क्योंकि पश्चिम के देशों में संविधान संशोधन में लोक की भी आंशिक भूमिका रहती है, जबकि दक्षिण एशिया के देशों में संविधान पर तंत्र के असीम अधिकार होते हैं। यहां लोक की संविधान संशोधन में न कोई प्रत्यक्ष भूमिका होती है न ही अप्रत्यक्ष। लोक स्वराज्य में तंत्र को प्रबंधक या मैनेजर कहा जाता है जबकि लोकतंत्र में उसे सरकार कहते हैं। सहभागी लोकतंत्र में सरकार का अर्थ होता है न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका का समन्वित स्वरूप। सहभागी लोकतंत्र में इन तीनों का एक दूसरे पर पूरा नियंत्रण होता है किन्तु कोई भी एक अपनी सीमा नहीं तोड़ सकता। संसदीय लोकतंत्र में सरकार का अर्थ कार्यपालिका को माना जाता है। विधायिका का अर्थ कानून बनाने वाली और संविधान संशोधन करने वाली इकाई के रूप में माना गया है तो संसदीय लोकतंत्र में मंत्रीमंडल को ही सरकार मान लिया गया है। इसका अर्थ हुआ कि मंत्रीमंडल के नीचे जो नियुक्तियां होती हैं वे सरकार के नौकर या कर्मचारी माने जाते हैं, सरकार के भाग नहीं। मैंने अब तक यह भ्रम पाल रखा था कि सरकारी कर्मचारी कार्यपालिका के अंग हैं किन्तु पिछले दिनों मंथन में चर्चा तथा संविधान विद सुभाष कश्यप से बात करने के बाद स्पष्ट हुआ कि भारत में कार्यपालिका का अर्थ मंत्रीमंडल तक सीमित होता है। कर्मचारी उसके सहयोगी होते हैं, सहभागी नहीं। मंत्रीमंडल की कानून बनाने में भी बहुत भूमिका रहती है। यही कारण है कि मंत्रीमंडल संसदीय लोकतंत्र में अन्य सभी इकाईयों पर भारी पड़ जाता है। लोकतंत्र की वर्तमान परिभाषा ही अनेक समस्याओं की जड़ है। मंत्रीमंडल को या तो कार्यपालिका तक सीमित होकर विधायिका से अलग हो जाना चाहिये अथवा विधायिका तक सीमित होकर कार्यपालिका से अलग हो जाना चाहिये। किन्तु दोनों जगह मंत्रीमंडल का बढ़ा महत्व उसे सरकार के रूप में स्थापित कर देता है जो अप्रत्यक्ष रूप से आंशिक तानाशाही का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। तानाशाही के विकल्प के रूप में तो संसदीय लोकतंत्र को अच्छा मानना हमारी मजबूरी है, किन्तु जब तानाशाही का दूर दूर तक खतरा नहीं है तब लोकतंत्र के किसी नये विकल्प की तलाश होनी चाहिये। मैं स्पष्ट कर दूँ कि कार्यपालिका का स्वरूप क्या हो और क्या है, इस संबंध में मैं पूरी तरह साफ नहीं हूँ। इस संबंध में और अधिक मंथन की आवश्यकता है।

सामयिकी

निर्भया कांड के समय संभवतः मैं भारत का अकेला व्यक्ति था जिसने बलात्कार के लिये कड़े कानून को और कड़ा करने का खुला विरोध किया था। यहां तक कि मैंने जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों को भी घातक माना था। मैंने स्पष्ट लिखा था कि यदि इस प्रकार कानून कड़े किये गये तो भारत में बलात्कार तो बढ़ेंगे ही साथ साथ हत्याओं की भी बाढ़ आ जायेगी। आप दिसम्बर 2013 के ज्ञानतत्व 260 और 262 के लेख पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी मैंने कई बार इस संबंध में लिखा। दबे छुपे मुलायम सिंह और शरद यादव भी इस मत के थे किन्तु नेतागिरी के कारण बोल नहीं सकते थे। पांच वर्ष बाद परिणाम वही हुए। बलात्कार तो बढ़े ही जिनके लिये यह कहा जा सकता है कि उस समय अनेक घटनाएं प्रकाश में नहीं आती होंगी किन्तु बलात्कार के साथ हत्याओं की बाढ़ का एकमात्र कारण निर्भया कांड के बाद बनाये गये कठोर कानून के अतिरिक्त कुछ और नहीं। तंत्र अपनी भूल न सुधार कर कानून अधिक कठोर करेगा और उसी अनुपात में बलात्कार एवं हत्याओं का विस्तार होता रहेगा।

प्राचीन समय में गंभीर बलात्कार को छोड़कर साधारण छेड़छाड़ की घटनाएं प्रकाश में नहीं आती थीं। अधिकांश सामाजिक स्तर से निपटती थीं। अब उसके ठीक विपरीत ऐसी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित करना एक फैशन बनता जा रहा है। कितनी विचित्र हालत है कि उन्नाव के एक ऐसे अपराधी दादा जिनसे सारा इलाका डरता था उन पर अंकुश के सारे प्रयत्न असफल होने के बाद अन्त में बलात्कार के एक अस्पष्ट आरोप का सहारा लेना पड़ रहा है। बलात्कार की यह घटना बिल्कुल विलक्षण नहीं। आम तौर पर ऐसे रसूखदार लोग अपने आस पास की लड़कियों के साथ ऐसे अनुचित संबंध बनाते रहे हैं। इस लड़की ने हिम्मत करके रिपोर्ट की तो रिपोर्ट दबा दी गई। विधायक ने लड़की के माता पिता को समझाने और दबाने का प्रयास किया तब भी परिवार नहीं दबा। विधायक के भाई ने अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार लड़की के पिता को इतना पीटा की पिता मर गया। मैं नहीं मानता कि इस घटना में महिलाओं पर अत्याचार की कोई विशेष घटना है।

कटुआ की घटना कुछ विशेष स्थान रखती है। मुझे स्वयं समझ में नहीं आया कि संभावित घटना क्रम क्या हो सकता है। मैंने कई गंभीर लोगों से संभावनाओं की चर्चा की, किन्तु सब मेरे समान ही भ्रम में मिले। हम सब मानते रहे कि घटना जैसी प्रचारित है वैसी असंभव है किन्तु यदि भिन्न भी है तो क्या हो सकती है यह किसी के समझ में नहीं आया। साफ स्थिति तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगी किन्तु एक धुंधली तस्वीर स्पष्ट हो रही है कि एक हिन्दू नाबालिग ने एक मुस्लिम आठ वर्ष की छोटी बच्ची का अपहरण करके बलात्कार किया। लड़की चिल्लाना चाहती थी तो उसे नशा देकर चुप किया गया। लड़की द्वारा विरोध के कारण उसे रोक कर रखा गया। लड़के का चचेरा भाई आता है तो वह भी लड़की से बलात्कार करता है। घटना के सामने

आने के डर से उसे मंदिर में छिपाया जाता है जहाँ उसके साथ अन्य लोग भी बलात्कार करते हैं। लडके के पिता घटना को छिपाने के लिये पुलिस वालों को पैसा देता है। पुलिस वालों में से भी कुछ लोग बलात्कार करते हैं। लडकी चुप रहने को तैयार नहीं और बात सामने आना बहुत खतरनाक है इसलिये लडकी की हत्या का मार्ग चुना गया। हत्या के बाद पुलिस जांच शुरू होती है। जिसमें कोइ ईमानदार पुलिस वाला बिना प्रभावित हुए जांच करता है। मामले में एक नाबालिग की गिरफ्तारी के बाद मुसलमानों की ओर से जुलूस और नारे लगते हैं। लडके के जिस पिता ने बेटे को बचाने का प्रयास किया वह हिन्दू संगठनों से जुड़ा होगा। हिन्दू संगठनों ने उसके पक्ष में जुलूस निकाला। वकीलों ने भी उसके पक्ष में प्रभाव डाला। पूरा मामला एक स्वाभाविक घटना का विस्तार है। कहीं महिला उत्पीड़न नहीं है, कहीं हिन्दू मुस्लिम का भाव नहीं है। समाज के अतिवादी हिन्दू मुस्लिम संगठन बिना सच्चाई जाने ऐसे आंदोलनों के लिये रात दिन तैयार मिलते हैं। फिर भी कठुआ मामले की जिस तरह आम हिन्दुओं ने एक स्वर से निन्दा की वह आम हिन्दू और आम मुसलमान के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींच देती है। ऐसे ऐसे संवेदनशील मामलों में भी देखा जाता है कि आम मुसलमान या तो चुप रहता है या किन्तु परन्तु लगाकर बोलता है जबकि आम हिन्दू ने इस घटना की एक स्वर से बिना किन्तु परन्तु के निन्दा की।

उन्नाव का सच तो स्पष्ट है किन्तु कठुआ का सच आगे पता चलेगा। मेरा उद्देश्य भी किसी घटना विशेष की चर्चा में न जाकर बढ़ते बलात्कारों तक सीमित रहना है। मेरे विचार में राजनेताओं द्वारा बनाये गये अप्राकृतिक अस्वाभाविक कानून ही बलात्कार और हत्याओं की बाढ़ के प्रमुख कारण हैं। जिन लोगों को समाजशास्त्र का रत्ती भर ज्ञान नहीं वे ऐसे ऐसे विषयों पर वर्ग विद्वेष बढ़ाने की बुरी नीयत से कानून की समीक्षा करेंगे तो परिणाम ऐसे आने ही हैं। यदि दंडित करना ही आवश्यक हो तो पहले ऐसे ऐसे अव्यावहारिक कानून बनाने वालों को सामाजिक दंड की शुरुआत करनी चाहिये जिनकी नीयत भी गलत है और नीतियाँ भी। अभी तो इक्का दुक्का नाबालिग शिकार हो रही है भविष्य में कहीं ये घटनाएँ आम न हो जावे। यदि कानून को और अधिक कठोर किया गया तो तीन परिणाम संभावित हैं - 1 बड़ी संख्या में निर्दोष लडकियों की हत्या हो जायेगी। 2 बड़ी संख्या में भावना प्रधान लडके फांसी चढ़ जायेंगे। 3 बड़ी संख्या में धूर्त महिलाएँ शरीफ लोगों को ब्लैकमेल करने लगेंगी।

सामयिकी

मैं न्यायिक सक्रियता के विरुद्ध रहा हूँ। साथ साथ मैं विधायिका की अति सक्रियता के भी विरुद्ध रहा हूँ। विधायिका की अति सक्रियता से परेशान न्यायपालिका ने संवैधानिक तरीके से जनहित याचिकाओं की अनुमति दी थी और पूरे भारत ने उसकी प्रशंसा की थी, भले ही वह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का आदेश नहीं था। स्वाभाविक है कि जनहित याचिकाओं का जमकर दुरुपयोग हुआ। पेशेवर मानवाधिकारवादी पर्यावरणवादी या एन जी ओ ने जनहित याचिकाओं को अपने व्यवसाय का एक माध्यम बना लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस भूल को सुधारते हुए यह टिप्पणी की है कि जनहित याचिकाओं का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। वैसे तो यह बात लम्बे समय से अनुभव की जा रही थी किन्तु पिछले कुछ वर्षों से तो यह एक फैशन सरीखे बन गई थी। जनहित की परिभाषा न्यायालय नहीं कर सकता। जनहित की परिभाषा तो एकमात्र विधायिका ही कर सकती है और यदि विधायिका जनहित की गलत परिभाषा करती है तो विधायिका पर नियंत्रण जन का ही हो सकता है, न्यायपालिका का नहीं। न्यायपालिका सिर्फ व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की संरक्षक होती है इससे अधिक न्यायपालिका की भूमिका तभी होती है जब संविधान के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा हो। अभी भी न्यायपालिका ने अपनी भूल में आंशिक संशोधन ही किया है। वास्तविक सुधार तो तब माना जायेगा जब न्यायपालिका जनहित को परिभाषित करना बंद करके यह कार्य विधायिका पर छोड़ देगी और जनहित याचिकाओं पर पूरा प्रतिबंध लगा देगी।

जबसे न्यायपालिका सर्वोच्च का अलोकतांत्रिक विचार न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं के मन में आया तब से ही ये संभावना दिखने लगी थी कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और गुटबंदी भी होगी। धीरे धीरे दोनों बातें साफ होती गईं। न्यायपालिका में सर्वोच्च स्तर पर दो गुट बने जिसमें एक गुट का नेतृत्व वरिष्ठ वकील प्रशान्त भूषण ने संभाला तो दूसरे गुट का नेतृत्व कुछ छोटे वकीलों के पास रहा। सर्वोच्च न्यायाधीश भी दो गुटों में बंट गये। राजनीति भी इस न्यायिक विवाद में शामिल हो गई। गुटबंदी स्वाभाविक थी क्योंकि प्रशान्त भूषण एक ऐसे वकील माने जाते हैं जिनकी सोच वामपंथ की तरफ अधिक झुकी हुई है। वे इमानदार हैं, हिम्मती हैं किन्तु न्याय और व्यवस्था के संतुलन के विरुद्ध न्याय के पक्ष में अधिक झुक जाते हैं। परिणाम होता है अव्यवस्था और अन्याय। न्यायपालिका के बीच टकराव तो जनहित में है क्योंकि लोकतंत्र में किसी को सर्वोच्चता का घमंड नहीं पालना चाहिये। साथ ही प्रशांत जी से मेरी अपेक्षा है कि न्याय और व्यवस्था का संतुलन न बिगड़े उस दिशा में भी उन्हें सोचना चाहिये।

हम जस्टिस लोया की मृत्यु की चर्चा करें। अमित साह का केश देख रहे जज का एकाएक ट्रांसफर करके जब जस्टिस लोया की नियुक्ति हुई थी तब भी इसी तरह यह कहकर हो हल्ला हुआ था कि जस्टिस लोया को किसी योजना के अंतर्गत लाया गया है। उनकी मृत्यु के बाद सारा प्रचार उलट जाता है। अब उनकी मृत्यु में षण्यंत्र नजर आने लगता है और वह भी तीन वर्ष बाद। जस्टिस लोया की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम होता है। साथ में चार जज हैं तीन वर्षों तक संदेह की गुंजाइस

नहीं है। एकाएक बंबई हाई कोर्ट में कुछ शुरुआत होती है। संदेह होता है कि बंबई हाई कोर्ट में न्यायपालिका और विपक्षी योजनाकारों के बीच कोई गुप्त सेटिंग हो सकती है। ऐसी सेटिंग की हवा उस समय निकल गई जब सुप्रीम कोर्ट ने सारा मामला अपने हाथ में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया या पक्षपात यह नहीं कहा जा सकता। किन्तु यह स्पष्ट है कि जस्टिस लोया की स्वाभाविक मृत्यु को आधार बनाकर विपक्ष अमित साह को कटघरे में खड़ा करना चाहता था। वह प्रयत्न असफल हो गया।

मैं स्पष्ट हूँ कि भारत वर्तमान में दो विचारधाराओं के बीच संघर्षरत है—1 वामपंथी विचारधारा 2 दक्षिण पंथी विचारधारा। पूरा विपक्ष आंशिक रूप से वामपंथी विचारधारा से समझौता करके चल रहा है तो पूरी सत्ता दक्षिणपंथी विचारधारा से समझौता करके चल रही है। चार वर्षों से जारी इस टकराव में सत्तारूढ़ पक्ष मजबूत हो रहा है। कभी साहित्य के नाम पर पुरस्कार वापसी होती है तो कभी कालेज के नाम पर जे एन यू आगे आ जाता है। कभी महिलाओं के नाम पर तो कभी दलितों के नाम पर वामपंथ अपनी शक्ति दिखाता रहता है, क्योंकि पूरे विपक्ष तथा कटघरेपंथी इस्लाम का उसे समर्थन रहता है। अब न्यायपालिका भी विचारधाराओं के आधार पर विभाजित हुई है। न्यायाधीशों से लेकर वकील तक दो गुटों में बंट गये हैं। न्यायपालिका में भी यही टकराव स्पष्ट हुआ है। लगता है कि न्यायपालिका में भी वामपंथी विचारधारा पराजित होगी। ज्यों ज्यों ऐसी विचारधारा के पक्षधर न्यायाधीश रिटायर्ड होते जायेंगे त्यों त्यों न्यायपालिका में भी तटस्थ अथवा दक्षिण पंथी विचारों के लोगों का प्रवेश बढ़ता जायेगा। ऐसा होना उचित है या अनुचित इस पर मैं कुछ नहीं कह रहा किन्तु वामपंथी विचारधारा का मैं प्रारंभ से विरोधी रहा हूँ और यदि उसे चुनौती देने के लिये कोई अन्य आगे आता है तो मैं ऐसी चुनौती का समर्थन कर सकता हूँ। न्यायपालिका के वर्तमान विवाद में मैं सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान निर्णय का समर्थन करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

शेखर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार द्वारा दैनिक भास्कर 25 अप्रैल

प्रश्न— बासु भट्टाचार्य ने वैवाहिक मतभेद पर तीन फिल्में बनाई थी, जिसमें संजीव कुमार और तनुजा ने तन्हा पत्नी की भूमिकाएं निभाई थीं। ढाई घंटे के उतार चढ़ाव के बाद पति पत्नी के बीच नाटकीय संवाद होता है। तनुजा संजीव कुमार से पूछती है, आप रोज हर किसी की समस्याओं पर संपादकीय लिखते हैं। क्या आप हमारी समस्याओं पर भी लिखेंगे?

अब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को इसी स्थिति में रखकर देखिये। पिछले सप्ताह जज बी एच लोया के निधन की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिकाएं खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के लिये फैसला लिखते हुए जस्टिस डीवाई चंद्र चूड ने याचिकाकर्ताओं और उनके वकीलों को रत्तीभर सबूत के बिना अपमानजनक आरोप लगाकर स्कैंडल खड़ा करके संपूर्ण न्यायपालिका को नुकसान पहुंचाने के लिये फटकार लगाई। फैसले में न्यायपालिका को वकीलों आंदोलनकारियों मीडिया व अन्य से बचाने की इच्छा से क्रोध व्यक्त हुआ। ऐसा लगता है जैसे हर कोई न्यायाधीशों के पीछे पड़ा है और वे बचाव करने में लगे हैं। क्या हम उनसे अनुभव की तनुजा का सरल सा प्रश्न दोहराकर पूछ सकते हैं। आप न्यायपालिका को दूसरों से बचाने के लिये फैसले लिखते रहते हैं। क्या आप एक फैसला ऐसा भी लिखेंगे कि न्यायपालिका को जजों से कैसे बचाये? मैंने यह बहुत ही सतर्कता बरते हुए लिखा है क्योंकि न्यायाधीशों ने कहा कि वे लोया केश के बहुत ही प्रतिष्ठित वकीलों व याचिकाकर्ताओं को उदारता दिखाते हुए आपराधिक अवमानना से बर्खा रहे हैं। संभव है एक मामूली संपादक पर वही उदारता नहीं दिखाई जाये। हालांकि तथ्य तो रखने होंगे और उनपर बहस करनी होगी। यह समय फैसले के गुण दोष पर चर्चा का नहीं है। जब न्यायपालिका बाहरी वायरसों को भगाने में लगी है तो खुद ही आटो इम्यून रोग का शिकार हो गई है। वह स्थिति जब शरीर खुद को ही खाने लगे। आप फैसले के व्यापक बिन्दुओं से सहमत हुए बिना नहीं रह सकते। एक जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग हो रहा है। लोगों ने अदालत में राजनीतिक व्यक्तिगत और वैचारिक झगड़े लाकर अपना कैरियर बना लिया है। उनका वक्त बर्बाद कर न्याय में हो रहे विलंब में योगदान दिया है। दो न्यायाधीश झूठ नहीं बोलते कम से चार जज मिलकर तो नहीं बोलते। तीन यह कहना अतिशयोक्ति है कि एक व्यक्ति पूरी न्यायपालिका को नियंत्रित करता है। यह असंभव है। आईये तथ्यों को जांचें। यह फैसला जिस दिन आया उस दिन अखबारों में खबर थी कि बांबे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका के आधार पर महाराष्ट्र में आई पी एल मैचों के दौरान पानी के उपयोग पर पाबंदियां लगा दीं। कितना पानी बचा यह छोड़ दीजिये पर क्या क्रिकेट लीग जनहित याचिका माननीय कोर्ट के वक्त की हकदार है जब उसके पास कई महत्वपूर्ण मामले हैं? न्यायाधीशों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठ सकता है पर कभी उनके कदमों में इरादे नहीं थोपे जाने चाहिये। लोया फैसला कहता है कि जनहित याचिका प्रचार चाहने वाले लोगों के लिये दिखावा बन गई है। क्या न्यायाधीश खुद से पूछेंगे कि क्या वे ऐसे ही प्रलोभन में तो नहीं आये हैं। मेरे सहयोगी मनीष छिब्रर उच्च न्यायपालिका को निकट से देखते हैं। उनकी सहायता से मैंने बी सी सी आई के अलावा रोचक उदाहरणों की सूची बनाई है। बी सीसी आई ने तो साल भर से ज्यादा वक्त से भारतीय क्रिकेट का प्रशासन सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया है और अंत दिख नहीं रहा है। क्रिकेट बेंच

(किसी संवैधानिक लोकतंत्र में ऐसा सुना है?) के मुखिया सीजे आई ने हाल में खेल में जुए सटटे को कानूनी बनाने की याचिका स्वीकार की है। चीफ जस्टिस बनने के पहले जस्टिस मिश्रा ने सिनेमा हाल में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया था जो काफी बाद में रद्द किया गया। हर जनहित याचिका ने सुर्खी बनाई। याचिका कर्ता को कोई नहीं जानता। फिर उन्हें ही सुर्खियां बटोरने का दोष क्यों दिया जाय? तथ्य यह है कि जनहित याचिकाओं से कई जजों ने अपने न्यायाधिकार व शक्तियों को विस्तार दिया है। वे प्रायः कार्यपालिका के दिन प्रतिदिन की झंझटों में चले जाते हैं जिसमें से बाहर आने का रास्ता नहीं होता। राजधानी में बीस साल पहले कोर्ट ने हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिये समिति बनाई थी। 18 मुख्य न्यायाधीशों के बाद भी यह मौजूद है। यही राजधानी में अवैध निर्माण व अतिक्रमण के मामले में हुआ। जनहित याचिका का जरूरत से ज्यादा उपयोग हुआ है पर न्यायाधीश भी समस्या में भागीदार हैं। दूसरा सिद्धान्त था जजों के और वह भी चार जजों के एक साथ झूठ न बोलने का। क्या यह सुप्रीम कोर्ट के उन चार वरिष्ठतम जजों पर लागू नहीं होता जो महीनों से न्यायिक प्रशासन को लेकर सार्थक मुद्दे उठाते रहे हैं। क्या उनकी चिंता को गलत बताकर खारिज कर दे जबकि महाराष्ट्र के चार जजों के शब्दों को यथावत ले लिया जाता है। मैं मूर्ख नहीं हूँ कि ऐसा संकेत दूँ कि जिलाजज झूठे हैं। शीर्ष जजों के बारे में ऐसा मानने के लिये तो मैं विक्षिप्त ही कहलाऊंगा पर इन प्रश्नों पर बहस और आत्म निरीक्षण की जरूरत है। न्यायिक अधिकार क्षेत्र का यह विस्तार न्यायपालिका की जनहित याचिका की मदद से सुर्खियों में बने रहने की प्रवृत्ति और अपना घर ठीक करने की उसकी नाकामी इन सब ने मिलकर इस संस्थान को बाहरी लोगों से अधिक नुकसान पहुंचाया है। आप हवा की गुणवत्ता सुधारने और क्रिकेट का संचालन करने में व्यस्त हैं और कार्यपालिका नियुक्तियों को लंबित करके आपके साथ खेल रही है। संस्थानों के बीच मामूली तनाव ठीक है लेकिन अगर उनमें से एक बेहद कमजोर हो जाये तो दूसरा उसकी जगह हथियाने लगता है। यही हो रहा है। न्यायाधीश लड़ रहे हैं और नेता हस रहे हैं। अब हम फैसले के तीसरे बिंदु पर आते हैं। यह कहना गलत है कि एक व्यक्ति न्यायपालिका को नियंत्रित कर सकता है। सिद्धांततः इस पर विवाद नहीं है पर हकीकत में हम ऐसे हालत में गुजर चुके हैं। बस वह पुरुष नहीं एक महिला इंदिरा गांधी थी। उस वक्त एच आर खन्ना के रूप में एक महान न्यायाधीश के साहस ने हमें उस स्थिति में पहुंचने से बचाया था जिसमें आज एदोर्गन की तुर्की है। वर्ष 2018 के भारत को ऐसे कई न्यायाधीशों की आवश्यकता है। क्योंकि चुनौतियां केवल बाहर से नहीं भीतर से भी हैं।

उत्तर— मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि जनहित याचिकाएँ न्यायपालिका द्वारा विधायिका की उच्चश्रृंखलाओं पर अंकुश लगाने के लिये शुरू की गई थी जो आगे चलकर न्यायिक तानाशाही का माध्यम बनने लगी। जनहित याचिकाओं का विचार प्रारंभ से ही असंवैधानिक था और आज भी है किन्तु प्रारंभ जनहित में था और वर्तमान जनविरोधी। आज जनहित याचिकाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है उसमें सबसे अधिक दोषी न्यायपालिका ही है। जनहित को परिभाषित करने का एक मात्र दायित्व विधायिका का है। उसमें न्यायपालिका की भूमिका लगभग शून्य होती है किन्तु न्यायपालिका ने शून्य भूमिका को अंतिम भूमिका बना दिया जिसके दुष्परिणाम हुए।

लोया मामले में चार जजों ने जो गवाही दी वह किसी घटना के संबंध में साक्ष्य थी न कि अभिमत जबकि सुप्रीम कोर्ट के चार जजों के विचार किसी घटना के साक्ष्य न होकर उनके अभिमत थे। इसलिये दोनों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। चार जजों की गवाही विश्वसनीय हो सकती है और विचार नहीं हो सकता है। केशवानंद भारती प्रकरण में तेरह जजों की फुल बेंच बैठी थी और निर्णय एक के बहुमत से हुआ था जिसका अर्थ हुआ कि छ जजों का विचार अमान्य हुआ। चीफ जस्टिस प्रकरण में तो सिर्फ चार जजों ने ही अपना मत व्यक्त किया है। अच्छा होता कि ये चारों जज अपनी पीड़ा मीडिया में व्यक्त न करके न्यायाधीशों की पूरी संख्या को बिठाकर निर्णय करते तब अच्छा था। मैं इस संबंध में शेखर जी से सहमत नहीं हूँ। जहां तक न्यायपालिका की छवि को नुकसान होने का प्रश्न है तो मेरे विचार में न्यायपालिका की छवि सुधरेगी। न्यायपालिका अपना काम छोड़कर जनहित याचिकाओं के माध्यम से प्रसिद्धि की दौड़ में आगे जाने का प्रयास कर रही थी। स्वाभाविक है उस दौड़ में भी न्यायाधीशों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू होती है और वह हुई। अच्छा हुआ कि न्यायपालिका का बड़ा हुआ मनोबल कुछ टूटना शुरू हुआ और वह सर्वोच्च बनने की दौड़ से पीछे हटेगी। वर्तमान स्थिति की तुलना इंदिरा काल से नहीं की जा सकती। उस समय विधायिका अंतिम रूप से सर्वोच्च हो गई थी किन्तु वर्तमान समय में न्यायपालिका सर्वोच्च बनने का प्रयास कर रही है जिसे मोदी सरकार ने पहली बार चुनौती दी है। भविष्य क्या होगा यह पता नहीं किन्तु यह दुखद है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच सर्वोच्चता की दौड़ जारी है। पहले विधायिका अपने को सर्वोच्च मानती थी तो बाद में न्यायपालिका अपने को सर्वोच्च मानने लगी। यदि विधायिका अधिक मजबूत हुई तब भी उसके परिणाम घातक होंगे। अच्छा हो कि न्यायपालिका और विधायिका सच्चाई को समझकर लोक को सर्वोच्च मानना शुरू कर दे तो सारी समस्या अपने आप सुलझ जायेगी। लूट के माल में बटवारे के झगड़े को समाप्त करने का सबसे अच्छा समाधान यही होता है कि वह माल उसके वास्तविक मालिक को वापस कर दिया जाये।